(राजस्थान–सरकार)

प्रथम अपीलीय प्राधिकारी एवं अति0 जिला कलक्टर, बारां (राज.)

पीठासीन अधिकारी दिवांशु शर्मा (आर.ए.एस.)

प्रथम अपील संख्या :– 08/2025

पंजीकरण संख्या :– 2025/53

बउनवान

सतीश सुमन पुत्र श्री सुंदरलाल सुमन निवासी सरकारी स्कूल के पास, मवासा, फूलबड़ौद तहसील छीपाबड़ौद जिला बारां (राज.)–325219 मो.नं. 9462485100

(अपीलार्थी)

बनाम

लोक सूचना अधिकारी, तहसीलदार, बारां

(प्रत्यर्थी)

प्रथम अपील अन्तर्गत सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 19 (1)

निर्णय दिनांक 25.07.2025

प्रस्तुत प्रथम अपील इस प्रकार है कि अपीलार्थी द्वारा दिनांक 30.05.2025 को लोक सूचना अधिकारी, तहसीलदार, बारां को अन्तर्गत सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 6 (1) के तहत ऑनलाईन आवेदन पत्र प्रस्तुत कर 04 बिंदुओं की सूचना चाही गई है जो निम्नलिखित है :–

1. जिला कलक्टर भू–अभिलेख द्वारा जारी आदेश क्रमांक 91/1628 दिनांक 01.05.2025 को जारी आदेश की शिकायत की प्रति एवं उक्त आदेश की तहसील द्वारा पालना रिपोर्ट की प्रमाणित सूचना।
2. तहसीलदार द्वारा जारी किये गये ऑर्डर की प्रति पैमाइश कमेटी में कौन–कौन सदस्य थे, उसकी प्रमाणित सूचना।
3. कार्यालय जिला कलक्टर भू–अभिलेख आदेश क्रमांक:एफ16(5)(3)भू.अ./सीमाज्ञान(टूडू) /2025/112/1966 दिनांक 27.05.2025 द्वारा जारी आदेश की पालना पैमाईश रिपोर्ट की प्रति उपलब्ध करवाने की कृपा करें।
4. उक्त आदेश क्रमांक से किन–किन अधिकारी और कर्मचारियों की टीम बनाई, उनकी संपूर्ण पत्रावली।

अपीलार्थी को उक्त सूचना उपलब्ध नहीं करवाने पर उसके द्वारा प्रथम अपील अन्तर्गत सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 19(1) के तहत विरूद्व (प्रत्यर्थी) लोक सूचना अधिकारी, तहसीलदार, बारां के ऑनलाईन पेश कर निवेदन किया कि प्रथम आवेदन–पत्र में चाही गई सूचना उपलब्ध करावें।

Signature Not Verified
Digitally signed by Divanshu Sharma
Date: 2025.09.04 11:46:38 IST
Reason: SelfAttested

इस पर प्रस्तुत प्रथम अपील [illegible]क 01.07.2025 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रत्यर्थी लोक सूचना [illegible] जरिये सम्मन क्रमांक 521–522 दिनांक 03.07.2025 से तलब कर प्रस्तुत [illegible] मेमो की छायाप्रति भिजवाई जाकर जवाब तलब किया गया तथा अपीलार्थी को भी जरिये रजिस्टर्ड सम्मन क्रमांक 521–522 दिनांक 03.07.2025 से तलब किया गया।

अपीलार्थी बावजूद सूचना के इस न्यायालय में अनुपस्थित रहा है। लोक सूचना अधिकारी, तहसीलदार, बारां द्वारा उनके कार्यालय के पत्र क्रमांक/भू.अ. /2025/5494–95 दिनांक 09.07.2025 से बिंदुवार जवाब इस न्यायालय में भिजवाया गया जो निम्नानुसार है :–

1. श्रीमान् जिला कलक्टर महोदय (भू–अभिलेख), बारां द्वारा जारी आदेश क्रमांक 91/1628 दिनांक 01.05.2025 को जारी आदेश व पालना रिपोर्ट नियमानुसार आवेदन कर जिला कार्यालय से प्राप्त की जा सकती है।
2. कार्यालय तहसीलदार(भू–अभिलेख) द्वारा जारी किये गये आदेश की प्रति पैमाइश कमिटी के सदस्यों की सूची की प्रमाणित प्रति पत्र के संलग्न है।
3. श्रीमान् जिला कलक्टर महोदय (भू–अभिलेख), बारां आदेश क्रमांक :एफ16(5)(3)भू.अ./सीमाज्ञान(टूडू)/2025/112/1966 दिनांक 27.05.2025 को जारी आदेश व पालना रिपोर्ट नियमानुसार आवेदन कर जिला कार्यालय से प्राप्त की जा सकती है।
4. कार्यालय तहसीलदार(भू–अभिलेख) द्वारा जारी किये गये आदेश की प्रति पैमाइश कमिटी के सदस्यों की सूची की प्रमाणित प्रति पत्र के संलग्न है।

अपीलार्थी द्वारा इस न्यायालय में अन्तर्गत सूचना का अधिकार अधिनियम–2005 की धारा 19(1) के तहत प्रस्तुत प्रथम अपील एवं तहसीलदार, बारां से प्राप्त जवाब का अवलोकन किया गया, जिससे पाया गया कि अपीलार्थी द्वारा चाही गई सूचना के संबंध में बिंदुवार जवाब से लोक सूचना अधिकारी, तहसीलदार, बारां द्वारा उनके कार्यालय के पत्र क्रमांक/भू.अ./2025/5494–95 दिनांक 09.07.2025 से इस न्यायालय में भिजवाते हुए अपीलार्थी को भी सूचित कर दिया गया है।

परिणामस्वरूप अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रथम अपील अन्तर्गत सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 19(1) के तहत खारिज की जाती है। इस न्यायालय द्वारा पारित निर्णय की सत्य प्रतिलिपि अपीलार्थी को एवं लोक सूचना अधिकारी, तहसीलदार, बारॉ को रजिस्टर्ड डाक से सूचनार्थ भिजवाई जावे।

निर्णय आज दिनांक **25.07.2025** को सरे ईजलास सुनाया गया।

(दिवांशु शर्मा)
अति0 जिला कलक्टर,
बारॉ

Signature Not Verified

Digitally signed by Divanshu Sharma
Date: 2025.09.04 11:46:38 IST
Reason: SelfAttested